न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री दिनेश चन्द जैन आई.ए.एस.

राजस्व अपील :: 07/2018 ::

अपीलाण्ट :-	बनाम	रेस्पोडेन्ट :-
श्रीमती मिश्रीबाई पत्नी रूपाराम पुत्री अचलाराम जाति कुम्हार, निवासी 43 इन्द्रा कॉलोनी, पाली		1. अनन्तराम पुत्र स्व.अचलाराम कुम्हार, निवासी कुम्हारों का निचला बास, पाली 2. टीपु बाई पत्नी सुजाराम कुम्हार, निवासी कुम्हारों का निचला बास, पाली 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-
अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल प्रजापत
रेस्पोडेण्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री सी.पी. सिघांनिया

-:: नि र्ण य ::-

दिनांक :- 13.02.2020

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 376 दिनांक 31.07.1971, जो पाली चक प्रथम खसरा नम्बर 191 रकबा 59 बीघा 06 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम की खातेदारी भूमि के संबधित है जिसके खातेदार पूनमा पुत्र खेता घांची हिस्सा 1/2 सुजा पुत्र नथू कुम्हार हिस्सा 1/6 के संबन्ध में अचला के फौत होने पर उसके उत्तराधिकारियों के नाम भरा गया उसे निरस्त कराने हेतु पेश किया गया है नामान्तरकरण अपील सब्जेक्ट टु लिमिटेशन दर्ज की जाकर रेस्पोडेण्ट गण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा बहस उभय पक्ष सूनी गई।

वकील अपीलाण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि पाली चक नम्बर 01 के खसरा नम्बर 191 रकबा 59 बीघा 06 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम की खातेदारी भूमि स्थित है। खातेदार पुनमा पुत्र खेता जाति घांची 1/2 अचलाराम पुत्र हेमा कुम्हार 1/3 तथा सूजाराम पुत्र नथू कौम कुम्हार 1/6 दर्ज थे। अचलाराम का देहान्त होने पर फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 376 अचलाराम के विधिक वारिसान के नाम का भरा जाना चाहिए था जो मात्र अचला के दो पुत्र सूजाराम पुत्र अचलाराम व अनन्तराम पुत्र अचलाराम के नाम भरा गया। तथा अचला की जायन्दा पुत्री मिश्री बाई पत्नी रूपाराम जी पुत्री अचलाराम नाम बतौर वारिस दर्ज नही कर विधिक त्रुटी की है जबकि अपीलाण्ट मिश्रीबाई हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम कि धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होने से उसका नाम जैर अपील नामान्तरकरण में बतौर अचलाराम के उत्तराधिकारी के दर्ज किया

जिला कलेक्टर, पाली

जाना चाहिए था। ऐसा नही कर मातहत तहसीलदार पाली ने भारी विधिक भूल की है। जिससे अपीलाण्ट अपने हक अधिकारों से वंचित हो गई। इस प्रकार जैर अपील नामान्तरकरण ab intitio void होने से निरस्त योग्य है, लिहाजा जैर अपील नामान्तरकरण को खारिज करावें। तथा अपीलाण्ट का नाम अचलाराम की जायन्दा पुत्री होने के कारण बतौर वारिसान दर्ज कराने के आदेश फरमावें। टीपुबाई सह खातेदार एंव अचलाराम जी के पुत्र सुजाराम की पत्नी तथा अनन्तराम के सगे भाई की पत्नी होने से तथा सूजाराम के फौत होने के बाद बतौर उनके वारिस के रूप में दर्ज खातेदार होने से पक्षकार बनाया है।

अपीलाण्ट अनपढ गृहणी होने से अपने पुत्र के सहयोग से प्रथम बार दिनांक 1.03.2012 को म्युटेशन की प्रति प्राप्त की तब उसे ज्ञात हुआ कि उसका नाम नामान्तरकरण मे बतौर अचलाराम के विधिक वारिसान के रूप में दर्ज नही किया । जिससे वह अपने हक अधिकारों से वंचित हो गई तब यह अपील दिनांक 31.03.2012 व 01.04.2012 को अवकाश होने तथा 02 व 03 को उसका स्वास्थ्य खराब होने से दिनांक 04.04.2012 को पेश की गई जिसे जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमावें, एवं गुणावगुण पर विचार कर जैर अपील नामान्तरकरण की बाद समीक्षा खारिज फरमावें।

वकील रेस्पोडेण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि जैर अपील नामान्तरकरण 1971 को स्वीकृत किया गया था जो काफी समय पूर्व स्वीकृत किया गया। तथा जिसे इस अपील के माध्यम से लगभग 40 वर्षो बाद सन 2012 में प्रश्नगत किया गया है इतने वर्षो बाद अपील करने से स्पष्ट रूप से म्याद बाहर होने से अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावें। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस यह भी कथन किया कि हिन्दु अधिकार में संशोधन अधिनियम 2005 दिनांक 9.9.2005 को प्रभाव में आने से तथा इसके भूतलक्षी प्रभाव नही होने से अपील का असर जैर अपील नामान्तरकरण पर नही पड़ेगा इसलिए अपील अपीलाण्ट निरस्त फरमाई जावें। एवं जैर अपील नामान्तरकरण को यथावत रखा जावें। अपने इस तर्क की ताईद मे अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2018 आर.बी.जे.(25) 279 भी पेश कर निवेदन किया कि अपील अपीलाण्ट निरस्त फरमावें।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का भी अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपील अपने पिता की सम्पति में बतौर वारिस हक अधिकार के सम्बधित होने से अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है एवं अपील का गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है।अपीलाण्ट मिश्रीबाई अचलाराम की जायंदा पुत्री होने से अपने पिता अचलाराम की सम्पति में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 के अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिस होने से अपीलाण्ट अपने पिता की सम्पति में दोनो पुत्रों अनन्तराम व सूजाराम के समान अधिकार रखती है। इसलिए

जिला कलेक्टर, पाली

अपीलाण्ट का नाम भी जैर अपील नामान्तरकरण में बतौर खातेदार दर्ज किया जाना चाहिए था। ऐसा नही कर तहसीलदार पाली ने विधिक भूल की है। तहसीलदार पाली द्वारा अचलाराम के दो पुत्रों अनन्तराम व सूजाराम के नाम नामान्तरकरण दर्ज कर दिया जिसे यथावत रखा जाना न्यायोचित नही है। टीपुबाई, सूजाराम पुत्र नाथू की पत्नी होने से उसकी मृत्यु पश्चात वारिस के तौर पर खातेदार दर्ज होने से पक्षकार बनाया गया है। उससे किसी प्रकार का अनुतोष अपेक्षित नही है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 08 से संबधित नही होने से इस प्रकरण को प्रभावी नही करते क्योकि उक्त धारा के तहत पुत्री को अपने पिता की संम्पती में जन्म से ही अधिकार प्रदत्त है। इस कारण उक्त दृष्टान्त इस अपील में चस्पा नही होते है।

परिणाम स्वरूप अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 376 ग्राम पाली चक प्रथम खसरा नम्बर 191 रकबा 59 बीघा 6 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम बाबत तहसील पाली द्वारा दिनांक 31.07.1997 को पारित किया गया उसे आंशिक रूप से अपास्त किया जाता है तथा इस आशय के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि स्व. अचलाराम पुत्र हेमाराम की मृत्यु पश्चात उसके विधिक वारिसान की बाद जांच तथा वर्तमान खातेदारों को सुना जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए नियमानुसार नामान्तरकरण स्वीकृत किया जावें। निर्णय की प्रति तहसील पाली को प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(दिनेश चन्द जैन)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली